

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल कैम्प कोर्ट रीवा म.प्र.

95

मा/निग/उमरिया/भू.सं/2014/3680



1. गुलाब चंद गुप्ता पिता स्व. छोटेलाल बानी
2. रामगरीब गुप्ता पिता स्व. छोटेलाल बानी
3. शिव प्रसाद गुप्ता पिता स्व. छोटेलाल बानी

सभी निवासी ग्राम मानपुर थाना व तहसील मानपुर जिला उमरिया म.प्र.

.....पुनरीक्षकर्तागण

बनाम

राजनारायण भट्ट पिता कृष्ण कुमार भट्ट

चंदा बाई पति स्व. जुगुआ चौधरी दोनो निवासी ग्राम मानपुर थाना व तहसील मानपुर जिला उमरिया म.प्र.

.....उत्तार्थीगण

पुनरीक्षण विरुद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय उमरिया

राजस्व प्रकरण क्र. 129/स्व/निग./2014-15 मे पारित

आदेश दिनांक 06.07.2017

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50(2) म.प्र.भू.सं. 1959

महोदय,


पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निवेदन है कि :-

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि उत्तरार्थी क्रमांक 2 के स्व. पति जुगुआ चौधरी एवं उत्तरार्थी क्र. 1

राजनारायण भट्ट के खिलाफ पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा खसरा नं. 884/3 रकवा 2.

00 एकड़ स्थित ग्राम मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया द्वारा वर्ष 1996 मे


31/01/17


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निगा/17/उपदिपा/3630

जिला- उपदिपा

पक्षकार का नाम गुलाबचन्द गुप्ता / राजनारायण मल्ल

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	